




GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

TO BE SUBSTITUTED BEARING THE SAME NO. AND DATE

सेवा में,

Principal GSSS-Morni Hills[3700], Panchkula
 Principal GSSS-Raipur Rani[3708], Panchkula
 Principal GSSS-Bataur[3716], Panchkula
 Principal GMSSS-Panchkula (Sarhak Model, Sector 12-A)[4300],
 Principal GMSSSS-Panchkula (Sector 20)[5522], Panchkula
 Principal GMSSSS-Panchkula (Sector 26), Panchkula

यादी क्रमांक 2/62-2020 w (1) Group: 238
 दिनांक पंचकुला 18-09-2020

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष
2020-21 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Morni Hills (Panchkula) [3700]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
2 GSSS Raipur Rani (Panchkula) [3708]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
3 GSSS Bataur (Panchkula) [3716]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
4 GMSSS Panchkula (Sarhak Model, Sector 12-A) (Panchkula) [4300]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
5 GMSSSS Panchkula (Sector 20) (Panchkula) [5522]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
6 GMSSSS Panchkula (Sector 26) (Panchkula)	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
	कुल राशि	600000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।

- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त किये गये कार्य की फोटो-प्रति सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति-हस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होती उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा सरकारी प्राप्ति शीर्ष जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में उपलब्ध नहीं करवाया जाता हो भविष्य में उस विद्यालय को आगामी राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

Self
अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/62-2020 w (1)

दिनांक, पंचकुला 30.09.2020 / 13.10.2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, पंचकूला को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त पंचकूला
- 3 जिला खजाना अधिकारी पंचकूला
- 4 उप खजाना अधिकारी, कालका/बरवाला/मोरनी/रायपुररानी///
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DDO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
- 10 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

Self
अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

 शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
 Education, Culture and Development

 School Education, Haryana
 विद्यालय शिक्षा, हरियाणा

 तमसो मा ज्योतिर्गमय
 Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com
TO BE SUBSTITUTED BEARING THE SAME NO. AND DATE

सेवा में,

Principal GSSS-Ateli[3856], Mahendergarh
 Principal GSSS-Dholera[3870], Mahendergarh
 Principal GSSS-Kanina[3874], Mahendergarh
 Principal GSSS-Narnaul[3887], Mahendergarh
 Principal GMSSSS-Mahendergarh[4100], Mahendergarh

यादी क्रमांक 2/62-2020 w (1) Group: 235
 दिनांक पंचकुला 18-09-2020

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष
2020-21 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Ateli (Mahendergarh) [3856]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
2 GSSS Dholera (Mahendergarh) [3870]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
3 GSSS Kanina (Mahendergarh) [3874]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
4 GSSS Narnaul (Mahendergarh) [3887]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
5 GMSSSS Mahendergarh (Mahendergarh) [4100]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
	कुल राशि	500000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

- 4 विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त किये गये कार्य की फोटो-प्रति सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति-हस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा सरकारी प्राप्ति शीर्ष जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में उपलब्ध नहीं करवाया जाता हो भविष्य में उस विद्यालय को आगामी राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

Sak
अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

दिनांक, पंचकुला 30.09.2020 / 13.10.2020

पृष्ठाकन क्रमांक 2/62-2020 w (1)

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, महेन्द्रगढ़ को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त महेन्द्रगढ़
- 3 जिला खजाना अधिकारी महेन्द्रगढ़
- 4 उप खजाना अधिकारी, महेन्द्रगढ़/अटेली/नांगल चौधरी/कनीना///
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DDO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
- 10 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

31/10/20
अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

TO BE SUBSTITUTED BEARING THE SAME NO. AND DATE

सेवा मे,

Principal GSSS-Khairi[2321], Kurukshetra
Principal GSSS-Babain[2392], Kurukshetra
Principal GMSSSS-Ismailabad[2399], Kurukshetra
Principal GSSS-Kurukshetra[2406], Kurukshetra
Principal GSSS-Pehowa[2425], Kurukshetra

यादी क्रमांक 2/62-2020 w (1) Group: 234
दिनांक पंचकुला 18-09-2020

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष
2020-21 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Khairi (Kurukshetra) [2321]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
2 GSSS Babain (Kurukshetra) [2392]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
3 GMSSSS Ismailabad (Kurukshetra) [2399]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
4 GSSS Kurukshetra (Kurukshetra) [2406]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
5 GSSS Pehowa (Kurukshetra) [2425]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
	कुल राशि	500000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

- 4 विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त किये गये कार्य की फोटो-प्रति सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति-हस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होती उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा सरकारी प्राप्ति शीर्ष जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में उपलब्ध नहीं करवाया जाता हो भविष्य में उस विद्यालय को आगामी राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

sd
अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/62-2020 w (1)

दिनांक, पंचकूला 30.09.2020 / 13.10.2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, कुरुक्षेत्र को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त कुरुक्षेत्र
- 3 जिला खजाना अधिकारी कुरुक्षेत्र
- 4 उप खजाना अधिकारी, शाहबाद/पेहवा/लाडवा/ईस्मायलाबाद///
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DDO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
- 10 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।


sd
अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

TO BE SUBSTITUTED BEARING THE SAME NO. AND DATE

सेवा मे,

Principal GSSS-Naguran[1505], Jind
Principal GSSS-Pillu Khera[1510], Jind
Principal GSSS-Safidon[1512], Jind
Principal GMSSSS-Balerkha[1513], Jind
Principal GSSS-Uchana Kalan[1523], Jind
Principal GSSS-Julana[1527], Jind
Principal GSSS-Jind (Defence Colony)[1566], Jind

यादी क्रमांक 2/62-2020 w (1) Group: 231
दिनांक पंचकुला 18-09-2020

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष
2020-21 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Naguran (Jind) [1505]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
2 GSSS Pillu Khera (Jind) [1510]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
3 GSSS Safidon (Jind) [1512]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
4 GMSSSS Balerkha (Jind) [1513]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
5 GSSS Uchana Kalan (Jind) [1523]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
6 GSSS Julana (Jind) [1527]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
7 GSSS Jind (Defence Colony) (Jind) [1566]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00


कुल राशि

700000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त किये गये कार्य की फोटो-प्रति सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति-हस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होती उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा सरकारी प्राप्ति शीर्ष जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में उपलब्ध नहीं करवाया जाता हो भविष्य में उस विद्यालय को आगामी राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02--Secondary Education--053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।



अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/62-2020 w (1)

दिनांक, पंचकुला 30.09.2020 / 13.10.2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, जीद को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त जीद
- 3 जिला खजाना अधिकारी जीद
- 4 उप खजाना अधिकारी, नरवाना/सफीदों/जुलाना/उचाना/पिल्लुखेड़ा // /
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DDO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
- 10 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।


अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
जगत्सो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

TO BE SUBSTITUTED BEARING THE SAME NO. AND DATE

सेवा मे,

Principal GSSS-Kalayath[2149], Kaithal
Principal GSSS-Siwan[2171], Kaithal
Principal GSSS-Rajound[2175], Kaithal
Principal GSSS-Pundri[2179], Kaithal
Principal GMSSSS-Keorak[2186], Kaithal
Principal GSSS-Cheeka[2196], Kaithal

यादी क्रमांक 2/62-2020 w (1) Group: 232
दिनांक पंचकुला 18-09-2020

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष
2020-21 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस रवीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Kalayat (Kaithal) [2149]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
2 GSSS Siwan (Kaithal) [2171]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
3 GSSS Rajound (Kaithal) [2175]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
4 GSSS Pundri (Kaithal) [2179]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
5 GMSSSS Keorak (Kaithal) [2186]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
6 GSSS Cheeka (Kaithal) [2196]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
	कुल राशि	600000.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।

- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त किये गये कार्य की फोटो-प्रति सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति-हस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा सरकारी प्राप्ति शीर्ष जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में उपलब्ध नहीं करवाया जाता हो भविष्य में उस विद्यालय को आगामी राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

Sdr
अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/62-2020 w (1)

दिनांक, पंचकूला 30.09.2020 / 13.10.2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, कैथल को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त कैथल
- 3 जिला खजाना अधिकारी कैथल
- 4 उप खजाना अधिकारी, गुहला/कलायत/पु-डरी/ढाण्ड/राजौन्द //
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DDO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
- 10 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

Sdr
अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development

School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा

तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

TO BE SUBSTITUTED BEARING THE SAME NO. AND DATE

सेवा मे,

Principal GSSS-Dhakla[3076], Jhajjar
Principal GMSSSS-Ladain[3077], Jhajjar
Principal GSSS-Jhajjar[3099], Jhajjar
Principal GMSSSS-Patauda[3105], Jhajjar
Principal GSSS-Bahadurgarh[3109], Jhajjar
Principal GSSS-Bhurawas[3245], Jhajjar
Principal GSSS-Majra (D)[3248], Jhajjar

यादी क्रमांक 2/62-2020 w (1) Group: 230
दिनांक पंचकुला 18-09-2020

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2020-21 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Dhakla (Jhajjar) [3076]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
2 GMSSSS Ladain (Jhajjar) [3077]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
3 GSSS Jhajjar (Jhajjar) [3099]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
4 GMSSSS Patauda (Jhajjar) [3105]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
5 GSSS Bahadurgarh (Jhajjar) [3109]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
6 GSSS Bhurawas (Jhajjar) [3245]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
7 GSSS Majra (D) (Jhajjar) [3248]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
	कुल राशि	700000.00


स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/सुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से

ही करना होगा।

- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त किये गये कार्य की फोटो-प्रति सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति-हस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होती उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा सरकारी प्राप्ति शीर्ष जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में उपलब्ध नहीं करवाया जाता हो भविष्य में उस विद्यालय को आगामी राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02--Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।



अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

पुष्पाकन क्रमांक 2/62-2020 w (1)

दिनांक, पंचकूला 30.09.2020 / 13.10.2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, झज्जर को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त झज्जर
- 3 जिला खजाना अधिकारी झज्जर
- 4 उप खजाना अधिकारी, बेरी/बहादुरगढ़/मातनहेल ///
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DDO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
- 10 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।


अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and DevelopmentSchool Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणातमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

TO BE SUBSTITUTED BEARING THE SAME NO. AND DATE

सेवा मे,

Principal GSSS-Bhattu Kalan[3266], Fatehabad
Principal GSSS-Bhuna[3267], Fatehabad
Principal GSSS-Fatehabad[3274], Fatehabad
Principal GSSS-Jakhal Mandi[3277], Fatehabad
Principal GSSS-Ratia[3393], Fatehabad
Principal GMSSSS-Indachhoi[3408], Fatehabad

यादी क्रमांक 2/62-2020 w (1) Group: 227
दिनांक पंचकुला 18-09-2020

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष
2020-21 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Bhattu Kalan (Fatehabad) [3266]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
2 GSSS Bhuna (Fatehabad) [3267]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
3 GSSS Fatehabad (Fatehabad) [3274]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
4 GSSS Jakhal Mandi (Fatehabad) [3277]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
5 GSSS Ratia (Fatehabad) [3393]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
6 GMSSSS Indachhoi (Fatehabad) [3408]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00

कुल राशि

600000.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/एलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार

- कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त किये गये कार्य की फोटो-प्रति सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति-हस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होती उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा सरकारी प्राप्ति शीर्ष जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
 - 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में उपलब्ध नहीं करवाया जाता हो भविष्य में उस विद्यालय को आगामी राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2020-21 के अन्तर्गत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/62-2020 w (1)

दिनांक, पंचकुला 30.09.2020 / 13.10.2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, फतेहाबाद को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त फतेहाबाद
- 3 जिला खजाना अधिकारी फतेहाबाद
- 4 उप खजाना अधिकारी, टोहाना/रतिया/भूना/जाखल/भट्टू कलां//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DDO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
- 10 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and DevelopmentSchool Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणातमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

TO BE SUBSTITUTED BEARING THE SAME NO. AND DATE

सेवा मे,

Principal GSSS-Faridabad (NIT No. 3)[974], Faridabad
Head Master GHS-Nangla Gujran[1098], Faridabad
Principal GSSS-Tigaon[1115], Faridabad
Principal GSSS-Badkhal[4295], Faridabad
Principal GMSSSS-Faridabad (Sector 55)[7134], Faridabad

यादी क्रमांक 2/62-2020 w (1) Group: 226
दिनांक पंचकुला 18-09-2020

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष
2020-21 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0
दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/62-2020 Works (1)
दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की
प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष
अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की
जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Faridabad (NIT No. 3) (Faridabad) [974]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
2 GHS Nangla Gujran (Faridabad) [1098]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
3 GSSS Tigaon (Faridabad) [1115]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
4 GSSS Badkhal (Faridabad) [4295]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
5 GMSSSS Faridabad (Sector 55) (Faridabad) [7134]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
	कुल राशि	500000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त किये गये कार्य की फोटो-प्रति सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति-हस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना

- होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा सरकारी प्राप्ति शीर्ष जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में उपलब्ध नहीं करवाया जाता हो भविष्य में उस विद्यालय को आगामी राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

sd/r
अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

दिनांक, पंचकूला 30.09.2020 / 13.10.2020

पृष्ठाकन क्रमांक 2/62-2020 w (1)

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त फरीदाबाद
- 3 जिला खजाना अधिकारी फरीदाबाद
- 4 उप खजाना अधिकारी, बल्लबगढ़ / / /
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DDO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
- 10 इन्वार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

sd/r
अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development

School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा

तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

TO BE SUBSTITUTED BEARING THE SAME NO. AND DATE

सेवा में,

Principal GGSSS-Charkhi Dadri[375], Charkhi Dadri
Principal GSSS-Baund Kalan[389], Charkhi Dadri
Principal GSSS-Badhra[658], Charkhi Dadri

यादी क्रमांक 2/62-2020 w (1) Group: 225
दिनांक पंचकुला 18-09-2020

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2020-21 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GGSSS Charkhi Dadri (Charkhi Dadri) [375]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
2 GSSS Baund Kalan (Charkhi Dadri) [389]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
3 GSSS Badhra (Charkhi Dadri) [658]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
	कुल राशि	300000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होती उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।

5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

पुष्पाकन क्रमांक 2/62-2020 w (1)

दिनांक, पंचकूला 30.09.2020 / 13.10.2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, चरखी दादरी को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त चरखी दादरी
- 3 जिला खजाना अधिकारी चरखी दादरी
- 4 उप खजाना अधिकारी, चरखी दादरी/बाढ़ड़ा/बाढ़ड़ा/
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DDO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
- 10 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and DevelopmentSchool Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणातमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

TO BE SUBSTITUTED BEARING THE SAME NO. AND DATE

सेवा में,

Principal GSSS-Behal[350], Bhiwani
Principal GMSSSS-Tosham[356], Bhiwani
Principal GSSS-Siwani Mandi[359], Bhiwani
Principal GSSS-Bawani Khera[367], Bhiwani
Principal GSSS-Loharu[393], Bhiwani
Principal GSSS-Kairu[395], Bhiwani
Principal GSSS-Bhiwani[396], Bhiwani

यादी क्रमांक 2/62-2020 w (1) Group: 224
दिनांक पंचकुला 18-09-2020

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष
2020-21 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अन्तर्गत व्यवस्थित 18000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Behal (Bhiwani) [350]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
2 GMSSSS Tosham (Bhiwani) [356]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
3 GSSS Siwani Mandi (Bhiwani) [359]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
4 GSSS Bawani Khera (Bhiwani) [367]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
5 GSSS Loharu (Bhiwani) [393]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
6 GSSS Kairu (Bhiwani) [395]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
7 GSSS Bhiwani (Bhiwani) [396]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
	कुल राशि	700000.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त किये गये कार्य की फोटो-प्रति सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति-हस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा सरकारी प्राप्ति शीर्ष जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में उपलब्ध नहीं करवाया जाता हो भविष्य में उस विद्यालय को आगामी राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

Sd/-
अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/62-2020 w (1)

दिनांक, पंचकुला 30.09.2020 / 13.10.2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, भिवानी को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त भिवानी
- 3 जिला खजाना अधिकारी भिवानी
- 4 उप खजाना अधिकारी, लोहारू/सिवानी/बवानी खेड़ा/तोशाम/ / /
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DDO as BCO के खाते मे स्थानान्तरित की जाये।
- 10 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।


Sd/-
अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

TO BE SUBSTITUTED BEARING THE SAME NO. AND DATE

सेवा में,

Principal GSSS-Gharaunda[1782], Karnal
Principal GSSS-Karnal (Model Town)[1790], Karnal
Principal GSSS-Nissing[1799], Karnal
Principal GSSS-Nigdhu[1800], Karnal
Principal GSSS-Padha[1801], Karnal
Principal GMSSSS-Taraori[1807], Karnal
Principal GSSS-Biana[1957], Karnal

यादी क्रमांक 2/62-2020 w (1) Group: 233
दिनांक पंचकुला 18-09-2020

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष
2020-21 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Gharaunda (Karnal) [1782]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
2 GSSS Karnal (Model Town) (Karnal) [1790]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
3 GSSS Nissing (Karnal) [1799]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
4 GSSS Nigdhu (Karnal) [1800]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
5 GSSS Padha (Karnal) [1801]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
6 GMSSSS Taraori (Karnal) [1807]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
7 GSSS Biana (Karnal) [1957]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
	कुल राशि	700000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त किये गये कार्य की फोटो-प्रति सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति-हस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होती उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा सरकारी प्राप्ति शीर्ष जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में उपलब्ध नहीं करवाया जाता हो भविष्य में उस विद्यालय को आगामी राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठाकन क्रमांक 2/62-2020 w (1)

दिनांक, पंचकुला 30.09.2020 / 13.10.2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, करनाल को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त करनाल
- 3 जिला खजाना अधिकारी करनाल
- 4 उप खजाना अधिकारी, नीलोखेड़ी/इन्द्री/घरौण्डा/असन्ध/निसिंग/तरावड़ी/ //
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DDO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
- 10 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light.

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

TO BE SUBSTITUTED BEARING THE SAME NO. AND DATE

सेवा मे,

Principal GMSSSS-Barara[13], Ambala
Principal GSSS-Mohri Bhanokheri[29], Ambala
Principal GSSS-Naraingarh[30], Ambala
Principal GSSS-Samlehri[38], Ambala
Principal GSSS-Shahzadpur[40], Ambala
Principal GSSS-Naneola[95], Ambala
Principal GSSS-Rampur Sarsheri[102], Ambala

यादी क्रमांक 2/62-2020 w (1)
दिनांक पंचकुला 18-09-2020

Group: 223

विषय **माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2020-21 (Recurring /Non-Recurring).**


हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GMSSSS Barara (Ambala) [13]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
2 GSSS Mohri Bhanokheri (Ambala) [29]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
3 GSSS Naraingarh (Ambala) [30]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
4 GSSS Samlehri (Ambala) [38]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
5 GSSS Shahzadpur (Ambala) [40]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
6 GSSS Naneola (Ambala) [95]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
7 GSSS Rampur Sarsheri (Ambala) [102]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
	कुल राशि	700000.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त किये गये कार्य की फोटो-प्रति सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति-हस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा सरकारी प्राप्ति शीर्ष जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में उपलब्ध नहीं करवाया जाता हो भविष्य में उस विद्यालय को आगामी राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।



अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/62-2020 w (1)

दिनांक, पंचकुला 30.09.2020 / 13.10.2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बाला को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त अम्बाला
- 3 जिला खजाना अधिकारी अम्बाला
- 4 उप खजाना अधिकारी, अम्बाला कैंन्ट/बराड़ा/नारायणगढ़/मुलाना//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DDO as BCO के खाते मे स्थानान्तरित की जाये।
- 10 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।



अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

TO BE SUBSTITUTED BEARING THE SAME NO. AND DATE

सेवा मे,

Principal GSSS-Taoru[866], Nuh Mewat
Principal GMSSSS-Saroli[872], Nuh Mewat
Principal GSSS-Nagina[873], Nuh Mewat
Head of Institution GSSS-Ahmadbas[6094], Nuh Mewat
Principal GSSS-Nuh[6625], Nuh Mewat

यादी क्रमांक 2/62-2020 w (1) Group: 236
दिनांक पंचकुला 18-09-2020

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2020-21 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Taoru (Nuh Mewat) [866]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
2 GMSSSS Saroli (Nuh Mewat) [872]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
3 GSSS Nagina (Nuh Mewat) [873]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
4 GSSS Ahmadbas (Nuh Mewat) [6094]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
5 GSSS Nuh (Nuh Mewat) [6625]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
	कुल राशि	500000.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

- 4 विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शाघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त किये गये कार्य की फोटो-प्रति सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति-हस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होती उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा सरकारी प्राप्ति शीर्ष जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में उपलब्ध नहीं करवाया जाता हो भविष्य में उस विद्यालय को आगामी राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02--Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

sdr
अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठाकन क्रमांक 2/62-2020 w (1)

दिनांक, पंचकुला 30.09.2020 / 13.10.2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:—

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, मेवात को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त मेवात
- 3 जिला खजाना अधिकारी मेवात
- 4 उप खजाना अधिकारी, नूह (मेवात)/फिरोजपुर झिरका/पुनहाना (मेवात)/तावडू (मेवात) // /
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी० एण्ड सी० दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी०सी०ए०) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DDO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
- 10 इन्चार्ज आई०टी० सैल (शिक्षा निदेशालय)।

[Signature]
अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

TO BE SUBSTITUTED BEARING THE SAME NO. AND DATE

सेवा मे

Principal GSSS-Hathin[979], Palwal
Principal GSSS-Prithla[995], Palwal
Principal GSSS-Hodal[1002], Palwal
Principal GMSSSS Dhatir (Palwal) [1005], Palwal
Principal GSSS-Barauli[1174], Palwal

यादी क्रमांक 2/62-2020 w (1) Group: 237
दिनांक पंचकुला 18-09-2020

विषय **माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2020-21 (Recurring /Non-Recurring).**

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-


विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GMSSSS Dhatir (Palwal) [1005]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
2 GSSS Hathin (Palwal) [979]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
3 GSSS Prithla (Palwal) [995]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
4 GSSS Hodal (Palwal) [1002]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
5 GSSS Barauli (Palwal) [1174]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
कुल राशि		500000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

- 4 विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त किये गये कार्य की फोटो-प्रति सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति-हस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होती उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा सरकारी प्राप्त शीर्ष जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में उपलब्ध नहीं करवाया जाता हो भविष्य में उस विद्यालय को आगामी राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।



 अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/62-2020 w (1)

दिनांक, पंचकुला 30.09.2020 / 13.10.2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, पलवल को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त पलवल
- 3 जिला खजाना अधिकारी पलवल
- 4 उप खजाना अधिकारी, पलवल/होडल/हथीन///
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DDO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
- 10 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।



 अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकूला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

TO BE SUBSTITUTED BEARING THE SAME NO. AND DATE

सेवा में,

Principal GSSS-Goela Khurd[2025], Panipat
Principal GSSS-Raja Kheri[2059], Panipat
Principal GSSS-Chulkana[2082], Panipat
Principal GSSS-Israna[2093], Panipat
Principal GSSS-Madlauda[2106], Panipat
Principal GMSSSS-Panipat (G T Road)[2130], Panipat

यादी क्रमांक 2/62-2020 w (1) Group: 239
दिनांक पंचकुला 18-09-2020

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2020-21 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Goela Khurd (Panipat) [2025]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
2 GSSS Raja Kheri (Panipat) [2059]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
3 GSSS Chulkana (Panipat) [2082]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
4 GSSS Israna (Panipat) [2093]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
5 GSSS Madlauda (Panipat) [2106]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
6 GMSSSS Panipat (G T Road) (Panipat) [2130]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
	कुल राशि	600000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।

- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलट्रेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त किये गये कार्य की फोटो-प्रति सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति-हस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होती उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा सरकारी प्राप्ति शीर्ष जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में उपलब्ध नहीं करवाया जाता हो भविष्य में उस विद्यालय को आगामी राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

self
अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/62-2020 w (1)

दिनांक, पंचकुला 30.09.2020 / 13.10.2020


इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त पानीपत
- 3 जिला खजाना अधिकारी पानीपत
- 4 उप खजाना अधिकारी, समालखा/इसराना/बापोली/मडलोडा / / /
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DDO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
- ✓ 10 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

30/09/20
अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
 विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

TO BE SUBSTITUTED BEARING THE SAME NO. AND DATE

सेवा मे,

Principal GSSS-Lakhan Majra[2665], Rohtak
 Principal GSSS-Rohtak (Gandhi Nagar)[2674], Rohtak
 Principal GSSS-Sampla[2679], Rohtak
 Principal GMSSSS-Sanghi[2681], Rohtak
 Principal GSSS-Mokhra[2724], Rohtak
 Principal GSSS-Kalanaur[4214], Rohtak

यादी क्रमांक 2/62-2020 w (1) Group: 241
 दिनांक पंचकुला 18-09-2020

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष
2020-21 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Lakhan Majra (Rohtak) [2665]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
2 GSSS Rohtak (Gandhi Nagar) (Rohtak) [2674]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
3 GSSS Sampla (Rohtak) [2679]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
4 GMSSSS Sanghi (Rohtak) [2681]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
5 GSSS Mokhra (Rohtak) [2724]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
6 GSSS Kalanaur (Rohtak) [4214]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
	कुल राशि	600000.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।

- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त किये गये कार्य की फोटो-प्रति सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति-हस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होती उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा सरकारी प्राप्ति शीर्ष जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में उपलब्ध नहीं करवाया जाता हो भविष्य में उस विद्यालय को आगामी राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण

कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/62-2020 w (1)

दिनांक, पंचकूला 30.09.2020 / 13.10.2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-


- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त रोहतक
- 3 जिला खजाना अधिकारी रोहतक
- 4 उप खजाना अधिकारी, महम/साम्पला/कलानौर///
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DDO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
- 10 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

अधीक्षक निर्माण

कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
 विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

TO BE SUBSTITUTED BEARING THE SAME NO. AND DATE

सेवा में,

Principal GSSS-Mandi Dabwali[2816], Sirsa
 Principal GSSS-Ellenabad[2825], Sirsa
 Principal GSSS-Kalanwali[2828], Sirsa
 Principal GSSS-Rania[2840], Sirsa
 Principal GMSSSS-Sirsa[2844], Sirsa
 Principal GSSS-Nathusari Chopta[2923], Sirsa
 Principal GSSS-Bupp[4023], Sirsa

यादी क्रमांक 2/62-2020 w (1) Group: 242
 दिनांक पंचकुला 18-09-2020

विषय **माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2020-21 (Recurring /Non-Recurring).**

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Mandi Dabwali (Sirsa) [2816]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
2 GSSS Ellenabad (Sirsa) [2825]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
3 GSSS Kalanwali (Sirsa) [2828]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
4 GSSS Rania (Sirsa) [2840]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
5 GMSSSS Sirsa (Sirsa) [2844]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
6 GSSS Nathusari Chopta (Sirsa) [2923]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
7 GSSS Bupp (Sirsa) [4023]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
	कुल राशि	700000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त किये गये कार्य की फोटो-प्रति सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति-हस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होती उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा सरकारी प्राप्ति शीर्ष जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में उपलब्ध नहीं करवाया जाता हो भविष्य में उस विद्यालय को आगामी राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

sel
अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/62-2020 w (1)

दिनांक, पंचकूला 30.09.2020 / 13.10.2020


इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, सिरसा को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त सिरसा
- 3 जिला खजाना अधिकारी सिरसा
- 4 उप खजाना अधिकारी, रानिया/डबवाली/ऐलनाबाद/कलावली / / /
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DDO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
- 10 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

32/09/2020
अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
 विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

TO BE SUBSTITUTED BEARING THE SAME NO. AND DATE

सेवा में,

Principal GGSSS-Madina[3569], Sonipat
 Principal GSSS-Baroda[3442], Sonipat
 Principal GMSSSS-Ganaur[3460], Sonipat
 Principal GSSS-Matindu[3480], Sonipat
 Principal GSSS-Sonipat (Model Town)[3482], Sonipat
 Principal GSSS-Lath[3566], Sonipat
 Principal GSSS-Beeswanmeel Rai[3609], Sonipat

यादी क्रमांक 2/62-2020 w (1) Group: 243
 दिनांक पंचकुला 18-09-2020

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलट्रेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष
2020-21 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GGSSS Madina (Sonipat) [3569]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
2 GSSS Baroda (Sonipat) [3442]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
3 GMSSSS Ganaur (Sonipat) [3460]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
4 GSSS Matindu (Sonipat) [3480]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
5 GSSS Sonipat (Model Town) (Sonipat) [3482]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
6 GSSS Lath (Sonipat) [3566]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
7 GSSS Beeswanmeel Rai (Sonipat) [3609]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
	कुल राशि	700000.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एंव जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त किये गये कार्य की फोटो-प्रति सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति-हस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा सरकारी प्राप्ति शीर्ष जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में उपलब्ध नहीं करवाया जाता हो भविष्य में उस विद्यालय को आगामी राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।


^{sol}
अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/62-2020 w (1)

दिनांक, पंचकूला 30.09.2020 / 13.10.2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एंव सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त सोनीपत
- 3 जिला खजाना अधिकारी सोनीपत
- 4 उप खजाना अधिकारी, गोहाना/गनौर/खरखोदा / / /
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DDO as BCO के खाते मे स्थानान्तरित की जाये।
- 10 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।


अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and DevelopmentSchool Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

TO BE SUBSTITUTED BEARING THE SAME NO. AND DATE

सेवा मे,

Principal GSSS-Farrukh Nagar[735], Gurugram
Principal GSSS-Pataudi[736], Gurugram
Principal GSSS-Sohna [853], Gurugram
Principal GMSSSS-Gurgaon (Sushant Lok)[5520], Gurugram

यादी क्रमांक 2/62-2020 w (1) Group: 228
दिनांक पंचकुला 18-09-2020

विषय **माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2020-21 (Recurring /Non-Recurring).**

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके सम्बन्धित अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Farrukh Nagar (Gurugram) [735]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
2 GSSS Pataudi (Gurugram) [736]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
3 GSSS Sohna (Gurugram) [853]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
4 GMSSSS Gurgaon (Sushant Lok) (Gurugram) [5520]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
	कुल राशि	400000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त किये गये कार्य की फोटो-प्रति सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति-हस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होती उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा सरकारी प्राप्ति शीर्ष जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।

5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में उपलब्ध नहीं करवाया जाता हा भावष्य म उस विद्यालय को आगामी राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठाकन क्रमांक 2/62-2020 w (1)

दिनांक, पंचकुला 30.09.2020 / 13.10.2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी, गुडगांव को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
 2. अतिरिक्त उपायुक्त गुडगांव
 3. जिला खजाना अधिकारी गुडगांव
 4. उप खजाना अधिकारी, पटोदी/सोहना/फारूख नगर/ / /
 5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी० एण्ड सी० दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
 6. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
 7. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
 8. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
 9. मुख्य लेखा अधिकारी (बी०सी०ए०) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DDO as BCO के खाते मे स्थानान्तरित की जाये।
- ५० इन्चार्ज आई०टी० सैल (शिक्षा निदेशालय)।


अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

TO BE SUBSTITUTED BEARING THE SAME NO. AND DATE

सेवा में,

Principal GMSSSS-Bilaspur[175], Yamuna Nagar
 Principal GSSS-Yamuna Nagar (Camp)[177], Yamuna Nagar
 Principal GSSS-Jagadhri[179], Yamuna Nagar
 Principal GMSSSS Saraswati Nagar, Yamuna Nagar
 Principal GSSS-Radaur[190], Yamuna Nagar
 Principal GSSS-Chhachharauli[205], Yamuna Nagar
 Principal GSSS-Sadhaura[263], Yamuna Nagar
 Principal GSSS-Buria[275], Yamuna Nagar

यादी क्रमांक 2/62-2020 w (1) Group: 244
 दिनांक पंचकुला 18-09-2020

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलट्रेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2020-21 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GMSSSS Bilaspur (Yamuna Nagar) [175]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
2 GSSS Yamuna Nagar (Camp) (Yamuna Nagar) [177]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
3 GSSS Jagadhri (Yamuna Nagar) [179]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
4 GMSSSS Saraswati Nagar (Yamuna Nagar)	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
5 GSSS Radaur (Yamuna Nagar) [190]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
6 GSSS Chhachharauli (Yamuna Nagar) [205]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
7 GSSS Sadhaura (Yamuna Nagar) [263]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
8 GSSS Buria (Yamuna Nagar) [275]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
	कुल राशि	800000.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त किये गये कार्य की फोटो-प्रति सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति-हस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होती उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा सरकारी प्राप्ति शीर्ष जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में उपलब्ध नहीं करवाया जाता हो भविष्य में उस विद्यालय को आगामी राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

Sd/-
अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठाकन क्रमांक 2/62-2020 w (1)

दिनांक, पंचकूला 30.09.2020 / 13.10.2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, यमुनानगर को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त यमुनानगर
- 3 जिला खजाना अधिकारी यमुनानगर
- 4 उप खजाना अधिकारी, यमुनानगर/छछरोली/बिलासपुर/सडौरा/रादौर///
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DDO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
- 10 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।


Sd/-
अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

TO BE SUBSTITUTED BEARING THE SAME NO. AND DATE

सेवा मे,

Principal GSSS-Kohli[1239], Hisar
 Principal GSSS-Nalwa[1304], Hisar
 Principal GSSS-Adampur Mandi[1420], Hisar
 Principal GSSS-Arya Nagar[1423], Hisar
 Principal GSSS-Bass[1430], Hisar
 Principal GSSS-Hansi[1441], Hisar
 Principal GSSS-Hisar (Jhajpul)[1443], Hisar
 Principal GSSS-Kuleri[1476], Hisar
 Principal GSSS-Narnaund[1478], Hisar
 Principal GSSS-Uklana Mandi[1481], Hisar
 Principal GMSSSS-Sisai[1485], Hisar
 Principal GSSS-Barwala (Nahar Kothi)[4079], Hisar

यादी क्रमांक 2/62-2020 w (1) Group: 229
 दिनांक पंचकुला 18-09-2020

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलट्रेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष
 2020-21 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Kohli (Hisar) [1239]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
2 GSSS Nalwa (Hisar) [1304]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
3 GSSS Adampur Mandi (Hisar) [1420]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
4 GSSS Arya Nagar (Hisar) [1423]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
5 GSSS Bass (Hisar) [1430]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
6 GSSS Hansi (Hisar) [1441]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
7 GSSS Hisar (Jhajpul) (Hisar) [1443]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00

8	GSSS Kuleri (Hisar) [1476]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
9	GSSS Narnaund (Hisar) [1478]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
10	GSSS Uklana Mandi (Hisar) [1481]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
11	GMSSSS Sisai (Hisar) [1485]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
12	GSSS Barwala (Nahar Kothi) (Hisar) [4079]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
कुल राशि			1200000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त किये गये कार्य की फोटो-प्रति सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति-हस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होती उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा सरकारी प्राप्ति शीर्ष जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में उपलब्ध नहीं करवाया जाता हो भविष्य में उस विद्यालय को आगामी राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

sd
अधीक्षक निर्माण

कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

दिनांक, पंचकुला 30.09.2020 / 13.10.2020

पृष्ठांकन क्रमांक 2/62-2020 w (1)

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, हिसार को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त हिसार
- 3 जिला खजाना अधिकारी हिसार
- 4 उप खजाना अधिकारी, आदमपुर/हांसी/नारनौद/बरवाला/उकलाना/ //
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)

9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी०सी०ए०) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DDO as BCO के खाते मे स्थानान्तरित की जाये।

10 इन्चार्ज आई०टी० सैल (शिक्षा निदेशालय)।

अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विधालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

TO BE SUBSTITUTED BEARING THE SAME NO. AND DATE

सेवा मे,

Principal GSSS-Garhi Bolni[2474], Rewari
Principal GSSS-Bodia Kamalpur[2519], Rewari
Principal GMSSSS-Tatarpur Istmurar[2545], Rewari
Principal GSSS-Gudiani[2613], Rewari
Principal GSSS-Pitharawas[2638], Rewari

यादी कमांक 2/62-2020 w (1) Group: 240
दिनांक पंचकुला 18-09-2020

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष
2020-21 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 कमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी कमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-


विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Garhi Bolni (Rewari) [2474]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
2 GSSS Bodia Kamalpur (Rewari) [2519]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
3 GMSSSS Tatarpur Istmurar (Rewari) [2545]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
4 GSSS Gudiani (Rewari) [2613]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
5 GSSS Pitharawas (Rewari) [2638]	Releasing funds to GMSSSS for completing certain pre-requisites for affiliation of these schools with CBSE	100000.00
	कुल राशि	500000.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी कमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी कमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

- 4 विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त किये गये कार्य की फोटो-प्रति सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति-हस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होती उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा सरकारी प्राप्ति शीर्ष जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में उपलब्ध नहीं करवाया जाता हो भविष्य में उस विद्यालय को आगामी राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/ Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।



अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/62-2020 w (1)

दिनांक, पंचकुला 30.09.2020 / 13.10.2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, रिवाड़ी को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त रिवाड़ी
- 3 जिला खजाना अधिकारी रिवाड़ी
- 4 उप खजाना अधिकारी, कौसली/बावल///
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DDO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जायें।
- 10 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।


अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकूला।

**OFFICE OF THE DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA**

ORDER No. 13/212-19 PGT-II (6) DATED, PANCHKULA, THE

That Babulal PGT Lecturer Hindi (ID. No. 063267) has filed the present CWP No. 28811 of 2019 before the Hon'ble High Court for issuance of a writ in the nature of Certiorari/Mandamus for setting aside the transfer order of the petitioner dated 22.08.2019 (Annexure P-2) besides relieving report dated 22.08.2019 (Annexure P-3) passed by the respondent no. 2 and further for staying the operation of order dated 22.08.2019 during the pendency of the Writ Petition.

That the above mentioned writ petition was disposed of on 04-10-2019 by Hon'ble High Court and the operative part of the order is reproduced here as under:

“Prayer in the present writ petition is for quashing of impugned transfer order dated 22.08.2019 (Annexure P-2) as well as relieving report (Annexure P-3) of even date.

Petitioner has been transferred from Government Senior Secondary School, Silapur, Block Ateli, District Mahendergarh to Government Girls High School, Kheri, Block Ateli, District Mahendergarh.

Learned counsel for the petitioner submitted that the earlier post from which petitioner has been relieved is still vacant and transfer of petitioner has been made against the transfer policy.

The impugned order is dated 22.08.2019, thus, it would not be appropriate for this Court to break cycle of transfers. In case, petitioners are aggrieved, shall be at liberty to make representation or upload objections, if any, on MIS portal. In case such objections are taken or

already submitted, respondents are directed to dispose of the same after affording opportunity of hearing to petitioners within a period of one month from the date of receipt of certified copy of this Court by passing a reasonable speaking order.

With aforesaid direction, the writ petition stands disposed of.”

Whereas, the Government of Haryana has framed **Teachers Transfer Policy, 2016** dated 29.06.2016 and the same was amended on 01.06.2017. Thereupon, transfers were made under this amended policy of 2017 to ensure equitable, demand based distribution of Teachers/Heads to protect academic interests of students and optimize job satisfaction amongst its employees in a fair and transparent manner. Under this policy, all government schools have been categorized into seven zones for the purpose of transfer of teachers and the teacher is eligible to opt any number of schools across the zones available to him, across the districts in the State. He is free to give preferences in order of his suitability. That for the purpose of Transfer Drive, the teachers who have already completed a period of 1 year service in a particular zone may seek transfer to some other station, on the other hand following categories of teachers have been asked to participate in the transfer drive compulsorily:-

- a. A post of any cadre held by a teacher previously or presently in the school education department in a regular capacity for a period of 5 years or more on the qualifying date in present zone of posting, shall be taken

1
Feb

as a deemed vacancy and such teacher shall participate compulsorily in the transfer drive.

b. Teachers declared surplus from a station as a part of rationalization/Normalization shall also participate compulsorily in the transfer drive.

c. Teachers who have been given temporary manual posting previously due to non-availability of online transfer drive or technical problem or compulsion.

That in compliance of the above mentioned directions of the Hon'ble High Court, the petitioner was provided with an opportunity of personal hearing on 21.09.2020 where the petitioner has submitted that he was included in the list of eligible participants despite of the fact that the protection was given to teachers transferred in zone 5, 6 and 7 in the year 2016, whereas he has to take care of his family.

Thereafter, the petitioner has submitted that he was not included in the list of protected employees due to transfer from Zone 6 to Zone 6 in year 2016. Whereas such protection was given only to those teachers who had opted for a post back at the same school if their previous place of posting remained vacant after all general transfers in year 2016. Whereas this clause has been removed from the teacher transfer policy after amending the Teacher Transfer Policy, 2016 in the year 2017 and hence the petitioner can't take any advantage of this clause of protection.

1
That the case of the petitioner has been further examined and it was found that the petitioner had already

completed five years service in a particular zone and hence he had to participate compulsorily in the General Transfer Drive, 2019. For the purpose of participation in Transfer Drive, 2019 the petitioner had obtained a score of 49.8603 and no other teacher lower in merit than the petitioner has got his preferred stations. The petitioner had opted 109 stations of his choice and out of 109 stations he was allotted 6th station of his preference.

It is pertinent to mention here that a teacher can opt as many stations as he wants and the same were allotted to them as per the marks obtained by them as per the Teacher Transfer Policy 2016, as well as they have to compete with the other teachers for posting against a vacant post according to the preference list provided by them.

In view of the position explained above, it is clear that the petitioner has been rightly transferred as per the provisions of the Teachers Transfer Policy, 2016 as amended from time to time and hence there is no substance in the representation of the petitioner and the same is liable to be rejected, being devoid of any merit.

I order accordingly.

1
(J. Ganesan, IAS)
Director Secondary Education,
Haryana, Panchkula

REGD.

1. Babu Lal S/o Sh. Sh. Dhanpat Ram

R/o Village Uninda,


Tehsil Ateli, District Mahendergarh,

ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA, THE 15-10-2020


A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Babu Lal S/o Sh. Sh. Dhanpat Ram R/o Village Uninda, Tehsil Ateli, District Mahendergarh.
2. District Education Officer, Mahendergarh.
- ✓ 3. IT Cell.


Dy. Superintendent PGT-II
for Director Secondary Education,
Haryana, Panchkula
9



**HARYANA GOVERNMENT
EDUCATION DEPARTMENT
CHANDIGARH**



No. 4/26-2019 HRG-I (2)

Dated Chandigarh, the 14.10.2020

In partial modification of this office Order No. 4/26-2019 HRG-I(2) dated 10.09.2020/14.09.2020, the following officers are adjusted as under:-

Sr NO	Seniority as PGT	Name & Designation	Given place of posting as Principal	New place of posting on adjustment	Remarks
1	1616/1609	SUJITA HOODA [056896], Principal, District Institute for Education and Training Birhi Kalan (Bhiwani) [4133], Bhiwani	GSSS Kalyana (Charkhi Dadri) [478]	District Institute for Education and Training Birhi Kalan (Bhiwani) [4133], Bhiwani	Against vacancy as Senior Lecturer

Note :-

1. The official will be relieved immediately and in any case within 7 days falling which he/she will be liable for disciplinary action.
2. No TA/DA and joining time will be admissible to the official if he/she has been shifted on his/her request after exercising option.
3. If there is no vacancy in the destination school for any reason the incumbent posted shall re-join his/her previous place of posting and also inform to concerned branch/computer cell at HQ.

If any discrepancy is noticed in this order, it should be brought to the notice of Computer Cell/Concerned branch within three days and the order be not implemented.

**DR. MAHAVIR SINGH, IAS
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY TO GOVT. HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
HARYANA, PANCHKULA**

OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA, PANCHKULA

ENDST. NO. 4/26-2019-HRG-I(2)

DATED, PANCHKULA, THE 15.10.2020

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Charkhi Dadri/Bhiwani
2. Principal, District Institute for Education and Training Birhi Kalan (Bhiwani) [4133], Bhiwani
3. Principal, Government Senior Secondary School Kalyana [478], Charkhi Dadri
4. Officer concerned i.e. Sujita Hooda [056896] [sujitakumari5007@gmail.com]
5. Sr Secy/PSCM/EM
6. Secy/PSSE.
7. PS/DSE
8. IT Cell.
9. A separate copy for uploading the orders on the MIS portal.

**DEPUTY SUPERINTENDENT HRG-I
for DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA PANCHKULA**

TO BE SUBSTITUTED BEARING THE SAME NO. & DATE

**GOVERNMENT OF HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT**

ORDER

ORDER NO. 12/152-2020 PGT-II (6)

DATED, PANCHKULA THE 24.09.2020

Sanction is accorded to the re-imbusement of Medical Charges amounting to Rs. 13,05,934/- (Rs. Thirteen Lac Five Thousand Nine Hundred Thirty Four only) to Miss. Ravina D/o Late Smt. Saroj Devi, PGT Hindi, Govt. Sr. Sec. School, Ramrai (Jind) as noted treatment of her Mother at Medanta – The Medicity, Gurugram (Haryana) on the advice of authorized Medical Attendants:-

Sr. No.	Name of Claimant	Amount	Relation with Patient	Period of Treatment
1.	Miss. Ravina D/o Late Smt. Saroj Devi, PGT Hindi, Govt. Sr. Sec. School, Ramrai (Jind)	Rs. 13,05,934/-	Daughter	30.09.2019 to 24.10.2019
(Rs. Thirteen Lac Five Thousand Nine Hundred Thirty Four only)				

1. The re-imbusement of Medical Charges has been sanctioned under the Punjab/Haryana Services (Medical Attendants) Rules, 1940.
2. It has been certified by the authorized Medical Attendant that the Medicines prescribed by them was absolutely essential for treatment and recovery of the Patient and that no cheaper substitute was possible.
3. The Head of Account to which the expenditure is debitable may be intimated direct to the Accountant General (Accounts) Haryana, Chandigarh.

**J. GANESAN, IAS
SPECIAL SECRETARY TO GOVT. HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT,
HARYANA, PANCHKULA**

ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA, THE 15/9/20

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-


Regd.

1. District Education Officer, **Jind** w.r.t. his/her Memo. A-1/2020/1157 dated 14.08.2020. The original Medical Bills and vouchers are attached herewith.
2. Treasury Officer, Concerned.
3. Principal, Govt. Sr. Sec. School, Ramrai (Jind).
4. Miss. Ravina D/o Late Smt. Saroj Devi, PGT Hindi R/o VPO Ikkas Tehsil and Distt. Jind.
- ✓ 5. IT Cell (Local).

9
**DY. SUPERINTENDENT PGT-II
FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
 विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

ORDER

NO. 4/49-2020 HRME-II (5)

Dated, Panchkula, the:- 15.10.2020

The following Group-D, Class-IV employee is hereby transferred with immediate effect:-

Sr. No.	Name, Designation	Present Place of Posting	Transfer/Adjusted	Remarks
1.	Sh. Vijay Kumar, Peon (5016443)	GHS Ajrawar (2343), Kurukshehra	GHS Khunga Kothi (1540), Jind	Against Vacancy by giving Relaxation in Transfer Policy.

Note :-

- The official will be relieved immediately and if he/she fails to do so, he/she will be liable for disciplinary action, However if any official is working in Census duty, he/she shall not be relieved till the Census duty is accomplished.
- No TA/DA and joining time will be admissible to the official if he/she has been shifted on his/her request after exercising option.
- If there is no vacancy in the destination school for any reason the incumbent transferred shall re-join his/her previous place of posting and also inform to concerned branch/computer cell at HQ.
If any discrepancy is noticed in this order or there is a violation of transfer policy, It should be brought to the notice of Computer Cell/Concerned branch within three days and the order be not implemented.
- Consent/affidavit of the official be taken that he is willing to loose his/her seniority in case of requested transfer orders.
- The condition that official has not been joined previous transfer place of posting is not implemented on Cancellation Order.
- The official will be update their profile in MIS Portal when he/she join/relieve from his present working station and also supply the information to the Directorate.
- Concerned DDO is also requested to update and approved MIS data of the official at your own level.

SATINDER SIWATCH
JOINT DIRECTOR ADMN-I
O/o DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

Endst. No. 4/ 49-2020 HRME-II (5)

Dated Panchkula, the:- 15-10-2020

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

- District Education Officer, Kurukshehra and Jind.
- Sh. Vijay Kumar (5016443), Peon, GHS Ajrawar (2343), Kurukshehra
- IT Cell.
- Data Entry Operator (HRME Branch) is requested to update the data of the concerned Official on the website/MIS Portal please.

Sh. Kulk
SUPERINTENDENT HRME-II
for DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

Directorate of School Education / विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development

School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा

तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

ORDER

NO. 4/49-2020 HRME-II (5)

Dated, Panchkula, the:- 15.10.2020

The following Group-D, Class-IV employee is hereby transferred with immediate effect:-

Sr. No.	Name, Designation	Present Place of Posting	Transfer/Adjusted	Remarks
1.	Sh. Vijay Kumar, Peon (5016443)	GHS Ajrawar (2343), Kurukshetra	GHS Khunga Kothi (1540), Jind	Against Vacancy by giving Relaxation in Transfer Policy.

Note :-

1. The official will be relieved immediately and if he/she fails to do so, he/she will be liable for disciplinary action, However if any official is working in Census duty, he/she shall not be relieved till the Census duty is accomplished.
2. No TA/DA and joining time will be admissible to the official if he/she has been shifted on his/her request after exercising option.
3. If there is no vacancy in the destination school for any reason the incumbent transferred shall re-join his/her previous place of posting and also inform to concerned branch/computer cell at HQ.
If any discrepancy is noticed in this order or there is a violation of transfer policy, It should be brought to the notice of Computer Cell/Concerned branch within three days and the order be not implemented.
4. Consent/affidavit of the official be taken that he is willing to loose his/her seniority in case of requested transfer orders.
5. The condition that official has not been joined previous transfer place of posting is not implemented on Cancellation Order.
6. The official will be update their profile in MIS Portal when he/she join/relieve from his present working station and also supply the information to the Directorate.
7. Concerned DDO is also requested to update and approved MIS data of the official at your own level.

SATINDER SIWATCH
JOINT DIRECTOR ADMN-I
O/o DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

Endst. No. 4/ 49-2020 HRME-II (5)

Dated Panchkula, the:-


A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Kurukshetra and Jind.
2. Sh. Vijay Kumar (5016443), Peon, GHS Ajrawar (2343), Kurukshetra
3. IT Cell.
4. Data Entry Operator (HRME Branch) is requested to update the data of the concerned Official on the website/MIS Portal please.

Satinder
By SUPERINTENDENT HRME-II
for DIRECTOR SECONDARY EDUCATION



**HARYANA GOVERNMENT
EDUCATION DEPARTMENT
CHANDIGARH**



Order No. KW 4/25-2019 HRG-I(2)

Dated Chandigarh, the 15.10.2020

In partial modification to this office order No. 4/25-2019 HRG-I (2) dated 08.09.2020 the following officer(s) are hereby adjusted as under with immediate effect :-

Sr. No	Sen. No. As on 27.06.2019	[EMP ID] Name, Designation and present place of posting	Now adjusted at	Remarks
1.	1426	[050078] Sanjay Yadav , Block Education Office, Beri (5055) District Jhajjar	Block Education Office, Nangal Chaudhary (5081) District Mahendergarh	Vice Sh. Vinod Kumar (067966) and vice versa
2.	1241	[022006] Sumitra Devi , Block Education Office, Nahar (5077) District Rewari	Block Education Office, Uchāna Kalan (5108) District Jind	Vice Smt. Ved Kaur (006191) and vice versa

Note :- They are directed to join their place of posting with immediate effect and sent relieving /Joining report to the Directorate accordingly.

**DR. MAHAVIR SINGH, IAS
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY TO GOVERNMENT OF HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
CHANDIGARH**

OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION HARYANA, PANCHKULA

ENDST. NO. KW 4/25-2019-HRG-I (2)

DATED, PANCHKULA, THE 16.10.2020

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Accountant General (A&E) Haryana, Chandigarh.
2. Director Secondary Education, Haryana, Panchkula
3. Director Elementary Education, Haryana, Panchkula
4. State Project Director, Haryana School Shiksha Priyojana Parishad
5. Directorate of School Education, Chandigarh, U.T. Administration Chandigarh.
6. Director SCERT, Haryana, Gurugram.
7. All the DEO/ DEEO/ Principal DIETs & BITEs.
8. Treasury Officers concerned.
9. Official concerned for immediate compliance.
10. Spl. Sr. Secy/ EM / Secy. ACSSE
11. PS/ DSE, PA/ Joint Director-I / Joint Director-II.
12. IT Cell for uploading the orders on website.
13. HRG-I(3) for placing copy of the promotion order in the personal file of the concerned promote.
14. A separate copy for uploading the orders on MIS portal.

**DEPUTY SUPERINTENDENT HRG-I
for DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**



आदेश क्रमांक 5/11-2019 PS(1)

दिनांक, पंचकूला: 13.10.2020

हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम-2003 के नियम 33 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए St. Teresa Convent School,

Sector-25, Panchkula को कक्षा 9th से 12th तक केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण

पत्र जारी किया जाता है। विद्यालय के स्थाई मान्यता आदेश क्रमांक 5/11-2019PS(2) दिनांक 23.06.2020 में निहित शर्तों तथा

समय-समय पर की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा। मान्यता वापिस लिए जाने की अवस्था में यह

अनापत्ति प्रमाण पत्र भी वापिस लिया समझा जायेगा। विद्यालय को-कोड नं 829/PKL/12th/BOSE/2020.

जे० गणेशन, आई०ए०एस०
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकण क्रमांक सम

दिनांक पंचकूला 15/10-2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रबन्धक समिति, Rose Petal Educational & Children Welfare Society, SCO No. 225, Sector-40 D, Chandigarh.
2. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र-2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार दिल्ली।
3. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, Panchkula.
5. Principal, St. Teresa Convent School, Sector-25, Panchkula.
6. आई०टी० सैल (H.Q.)
7. ऑफिस रिकार्ड।

15/10/2020
उप अधीक्षक सी०ए०एस०
कृते: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला।

(TO BE SUBSTITUTED BEARING SAME NUMBER AND DATE)

**GOVERNMENT OF HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT**

ORDER

No. 13/106-2019 PGT-1 (2)

Dated, Chandigarh, the 11.09.2020

In continuation of this office order No. 6/8-2019 PGT-I (2) dated 09.03.2019, vide which the appointment order was issued to Smt. Reshma, PGT Geography, and temporarily posted at GSSS Badra (Charkhi Dadri) is now hereby adjusted at GGSSS Kadma (Charkhi Dadri) [328] temporarily being surplus with the condition that she must participate in the next phase of transfer drive for permanent posting. All other terms and conditions of appointment orders shall remain same.

**DR. MAHAVIR SINGH
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY TO GOVT. HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
CHANDIGARH**


**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION HARYANA,
PANCHKULA**

Endst. No. Even

Dated Panchkula, the 15/10/2020

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officers, Bhiwani & Charkhi Dadri are requested to do the needful regarding relieving and joining of the candidate.
2. The Head of the Institution concerned.
3. The candidate concerned.
4. I.T. Cell (H.Q.).


**Superintendent PGT-I
for Director Secondary Education
Haryana, Panchkula**

**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA**

Order No. 18/146-2019 PGT-III (2)

Dated, Panchkula the 13.10.2020

In continuation of this office order No. 18/146-2019 PGT-III (2) dated 04.08.2020, the Child Care Leave of Smt. Pushpa Devi, PGT Psychology, Govt. Senior Sec. School, Kathura (Sonapat) is hereby extended for the period from **27.10.2020 to 23.01.2021 (89 days)** on her request, as per Finance Department instructions No. 11/102/2009-3 FR dated 05.02.2010 and letter No. 11/102/2009-3FR/28067 dated 01.02.2016.

**J. GANESAN, IAS
Director Secondary Education
Haryana, Panchkula**

ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA THE 26/10/2020

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Sonapat
2. Principal/Headmaster, Govt. Sr. Sec. School, Kathura (Sonapat)
3. Smt. Pushpa Devi, PGT Psychology, Govt. Senior Sec. School, Kathura (Sonapat).
4. IT Cell for uploading the orders on website.


**Superintendent PGT-III
for Director Secondary Education
Haryana, Panchkula**

16/10/2020